## ।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान,जयपुर ।

कमांक:-लीगल / हाईकोर्ट / जयपुर / 2018.**। 566-69** दिनांक-1/08/2018 आयुक्त,

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।

विषय:—उप निरीक्षक एवमं कानिस्टेबल भर्ती के सम्बन्ध में नोटिस फोर कैवियट का प्रकाशन करने के सम्बन्ध में। महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि महानिरीक्षक पुलिस (भर्ती) राजस्थान जयपुर के निर्देशाानुसार उप निरीक्षक व कानिस्टेबल भर्ती 2010के लिए नोटिस फोर कैवियट का प्रकाशन कराया जाना है। इस नोटिस की चार प्रतियां मय साफ्ट प्रति (सीडी) भिजवाई जा रही है। अतः कैवियट नोटिस राज्य स्तरीय दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों के समस्त संस्करणों में दिनांक 03.08.2018 को प्रकाशित कराने का श्रम करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीय

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विधि प्रकोष्ठ,पु.मु.जयपुर।

प्रतिलिपि:—1:प्रभारी राजस्थान पुलिस वैबसाईट सैल को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कैवियट को विभाग की वैबसाईट पर आज ही अपलोड कराने की व्यवस्था करें।

2:उप—विधि परामर्शी,पुलिस मुख्यालय,राज0—जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है। 3:महानिरीक्षक पुलिस(भर्ती)राज.जयपुर पुलिस मुख्यालय,राज0 जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

> अतिरिक्त पुर्द्धिस अधीक्षक विधि प्रकोष्ठ,पुलिस मु0जयपुर।

## OFFICE OF DIRECTOR GENERAL OF POLICE, RAJASTHAN, JAIPUR. NOTICE FOR CAVEAT

In relation to advertisement No. 5(17) Police-Force/ Constable Recruitment/ 09/ 6494 dated 14.10.2010 and Advertisement No.3/Examination 'Kh'/SIP/ 2010-2011/69135 dated 25.11.2010, the undersigned has entered into caveat on behalf of (1) The State of Rajasthan through Additional Chief Secretary, Department of Home Government of Rajasthan, (2) Director General of Police, Rajasthan, Jaipur (3) Inspector General of Police, Rajasthan, Jaipur. It is informed to all who wants to approach the Hon'ble Rajasthan High Court in relation to recruitment on the post of Constable pursuant to advertisement dated 14.10.2010 and so also the post of Sub Inspector of Police pursuant to advertisement dated 25.11.2010, to provide an advance copy of the writ petition in the office of the undersigned before filing the same in Hon'ble Rajasthan High Court, Jaipur Bench, Jaipur.

(Dr. Arjun Singh Khangarot) Additional Government Counsel